

**न्यायालय-भास्कर मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)**

//संशोधित दांडिक कार्य विभाजन आदेश//

क्रमांक-क्यू/सी.जे.एम./2026

कांकेर, दिनांक 06-08-2026

मैं, भास्कर मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14(1) एवं 15(2) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी किये गये समस्त कार्य विभाजन आदेशों को रद्द करते हुए जिला उ.ब. कांकेर में पदस्थ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से करता हूँ जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उ.ब. कांकेर (छ.ग.) के अनुमोदन में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा:-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र	विवरण
1	2	3	4
1	भास्कर मिश्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर बस्तर कांकेर	1-कांकेर 2-यातायात कांकेर 3-आबकारी कांकेर	1. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, रिमाण्ड वृत्तरिमाण्ड प्रकरण, सुपुर्दनामा प्रकरण, समरी प्रकरण, खात्मा प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं नागरिक सुरक्षा संहिता 223 के तहत प्रस्तुत परिवाद/इस्तगाशा एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 175(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना । 2. जिला उ.ब.कांकेर से संबंधित समस्त मामलों के खारिजी प्रकरण की कार्यवाही करना । 3. आबंटित आरक्षी केन्द्र से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलो का निराकरण करना । 4. आबकारी वृत्त कांकेर से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद/इस्तगाशा प्रकरणों का निराकरण करना ।

5. आर.टी.ओ. कांकेर से उदभूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना ।

6. जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नगर पालिका निगम से उदभूत होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना ।

7. आबंटित आरक्षी केन्द्र से उदभूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित अपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना ।

8. जिला उत्तर बस्तर कांकेर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले इनामी चीट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1987 के मामलों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना ।

9. जिला उत्तर बस्तर कांकेर से अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किये जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना ।

10. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना ।

11. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, श्रम /चलचित्र अधिनियम एवं औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना ।

12. ऐसे प्रकरण अथवा न्यायिक कार्य, जिनका विशिष्ट उल्लेख इस कार्य वितरण आदेश में न हो, का निराकरण करना ।

2. श्रीमती अम्बा शाह 1-चारामा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 2-आबकारी
उत्तर बस्तर कांकेर चारामा

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तथा माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश कांकेर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना ।

1. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित वृत्तआरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, रिमाण्ड रिमाण्ड प्रकरण, सुपुर्दनामा प्रकरण, समरी प्रकरण, खात्मा प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं नागरिक सुरक्षा संहिता 223 के तहत प्रस्तुत परिवाद/इस्तगाशा एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 175(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना ।

2. आबंटित आरक्षी केन्द्र से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित का निराकरण करना ।

3. आबकारी वृत्त चारामा से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद/इस्तगाशा प्रकरणों का निराकरण करना ।

4. आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से 147 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करना ।

5. आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना ।

6. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का

निराकरा करना ।

7. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, श्रम/अपमिश्रण अधिनियम एवं औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना ।

8. माननीय सत्र न्यायाधीश उ.ब. कांकेर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उ.ब. कांकेर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।

3. श्रीमती अंकिता तिगा 1 भानुप्रतापपुर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, 2 सिकसोड़
भानुप्रतापपुर 3. अंतागढ़
जिला उत्तर बस्तर कांकेर 4. कोयलीबेड़ा
5. रावघाट
6. ताड़ोकी
7. दुर्गकोंदल
8. लोहत्तर
9. कोड़ेकुर्से

1. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, रिमाण्ड रिमाण्ड प्रकरण, सुपुर्दनामा प्रकरण, समरी प्रकरण, खात्मा प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं नागरिक सुरक्षा संहिता 223 के तहत प्रस्तुत परिवाद/इस्तगाशा एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 175(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना ।

2. आबंटित आरक्षी केन्द्र से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित का निराकरण करना ।

3. आबकारी वृत्त भानुप्रतापपुर एवं अंतागढ़ से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद/इस्तगाशा प्रकरणों का निराकरण करना ।

4. आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से 147 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करना ।

5. आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना ।

6. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरा करना ।

7. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, श्रम/अपमिश्रण अधिनियम एवं औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना ।

8. माननीय सत्र न्यायाधीश उ.ब. कांकेर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उ.ब. कांकेर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना ।

4. श्री ध्रुवराज ग्वाल 1 पखांजूर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, 2 बड़गांव
पखांजूर 3 बांदे
जिला उत्तर बस्तर कांकेर 4 परतापुर
5 छोटेबेठिया
6 गोंडाहूर

1. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, रिमाण्ड रिमाण्ड प्रकरण, सुपुर्दनामा प्रकरण, समरी प्रकरण, खात्मा प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं नागरिक सुरक्षा संहिता 223 के तहत प्रस्तुत परिवाद/इस्तगाशा एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 175(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना ।

2. आबंटित आरक्षी केन्द्र से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

अधिनियम 2005 से संबंधित का निराकरण करना ।

3. आबकारी वृत्त पखांजूर से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद/इस्तगाशा प्रकरणों का निराकरण करना ।

4. आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से 147** के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करना ।

5. आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना ।

6. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरा करना ।

7. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, श्रम/अपमिश्रण अधिनियम एवं औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना ।

8. माननीय सत्र न्यायाधीश उ.ब. कांकेर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उ.ब. कांकेर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना ।

5

श्री निखिल साहू
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
उत्तर बस्तर कांकेर

थाना नरहरपुर

1. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, रिमाण्ड रिमाण्ड प्रकरण, सुपुर्दनामा प्रकरण, समरी प्रकरण, खात्मा प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं नागरिक सुरक्षा संहिता 223 के तहत प्रस्तुत परिवाद/इस्तगाशा एवं धारा

156(3) द.प्र.सं. एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 175(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना ।

2. आबंटित आरक्षी केन्द्र से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित का निराकरण करना ।

3 आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से 147 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करना ।

4 आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना ।

5. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरा करना ।

6. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, श्रम/अपमिश्रण अधिनियम एवं औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना ।

7. माननीय सत्र न्यायाधीश उ.ब. कांकेर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उ.ब. कांकेर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना ।

6

कु. आयुषी शुक्ला
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
उत्तर बस्तर कांकेर

थाना कोरर

1. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, रिमाण्ड रिमाण्ड प्रकरण, सुपुर्दनामा प्रकरण, समरी प्रकरण, खात्मा प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं नागरिक सुरक्षा संहिता 223 के तहत प्रस्तुत परिवाद/इस्तगाशा एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 175(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।

2. आबंटित आरक्षी केन्द्र से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित का निराकरण करना।

3 आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से 147 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करना।

4 आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।

5. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरा करना।

6. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, श्रम/अपमिश्रण अधिनियम एवं औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) के

अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना ।

7. माननीय सत्र न्यायाधीश उ.ब. कांकेर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उ.ब. कांकेर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना ।

- 7 श्री हिमांशु चंद्राकर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
उत्तर बस्तर कांकेर
- 1-थाना
आमाबेडा
2-चौकी हल्बा

1. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, रिमाण्ड रिमाण्ड प्रकरण, सुपुर्दनामा प्रकरण, समरी प्रकरण, खात्मा प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं नागरिक सुरक्षा संहिता 223 के तहत प्रस्तुत परिवाद/इस्तगाशा एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 175(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना ।

2. आबंटित आरक्षी केन्द्र से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित का निराकरण करना ।

3 आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से 147 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करना ।

4 आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना ।

5. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरा करना ।

6. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, श्रम/अपमिश्रण अधिनियम एवं औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना।

7. माननीय सत्र न्यायाधीश उ.ब. कांकेर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उ.ब. कांकेर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।

8 श्री मयंक ध्रुव 01- थाना सरोना 1. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 02-चौकी दुधावा आरक्षी केन्द्र से उदभूत होने वाले
उत्तर बस्तर कांकेर

समस्त आपराधिक प्रकरणों, रिमाण्ड रिमाण्ड प्रकरण, सुपुर्दनामा प्रकरण, समरी प्रकरण, खात्मा प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं नागरिक सुरक्षा संहिता 223 के तहत प्रस्तुत परिवाद/इस्तगाशा एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 175(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।

2. आबंटित आरक्षी केन्द्र से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित का निराकरण करना।

3 आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से 147 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करना।

4 आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण

अधिनियम 1972 से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना ।

5. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरा करना ।

6. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, श्रम/अपमिश्रण अधिनियम एवं औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना ।

7. माननीय सत्र न्यायाधीश उ.ब. कांकेर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उ.ब. कांकेर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना ।

//आवश्यक निर्देश//

- (1) कांकेर जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए चलित न्यायालय लगा सकेंगे ।
- (2) कांकेर मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य मुख्यालय में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कांकेर से अनुमति लेकर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा ।
- (3) धारा 164 द.प्र.सं. एवं धारा 183 भा.ना.सु.सं. के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट **परिशिष्ट "ए"** के अनुसार दर्ज करेंगे ।
- (4) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने लिक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था **परिशिष्ट "बी"** में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।
- (5) ऐसे अन्य मामले या न्यायिक कार्य जिनका विशिष्ट उल्लेख, इस कार्य विभाजन आदेश में न हो अथवा कोई शंका की स्थिति उत्पन्न हो तो मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट अथवा मुख्यालय में कोई भी मजिस्ट्रेट अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यरत न हो, वहाँ **परिशिष्ट "बी"** के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।
- (6) अत्यावश्यक कार्यों में अन्य न्यायालय के थाना क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले का अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण, शामिल नहीं है, परन्तु किसी समरी प्रकरण में

जिसमें अभियुक्त कांकेर जिले से अन्य जिले का निवासी है अथवा छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्य निवासी है और स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहता है मात्र उन्हीं प्रकरणों का अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जा सकेगा।

(7) ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य, जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो, वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उ.ब. कांकेर के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(8) अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उ.ब. कांकेर एवं प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से देंगे।

(9) विशेष परिस्थिति में अथवा अपवादित परिस्थिति में सिविल जिला कांकेर के समस्त थानों से उद्भूत होने वाले मामलों के विधिवत् निराकरण का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर बस्तर कांकेर को होगा।

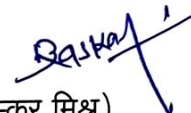
(10) जिला मुख्यालय में कुटूम्ब न्यायालय की स्थापना हो जाने से **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से 147** से संबंधित आवेदन पत्रों की सुनवाई जिला मुख्यालय में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में नहीं होगी।

(11) साईबर सेल से संबंधित सुपुर्दनामा प्रकरणों का निराकरण संबंधित थाना क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा।

(12) यह दायित्व कार्य विभाजन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कांकेर द्वारा अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा।

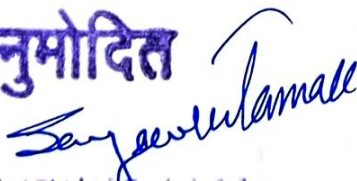
अनुमोदित

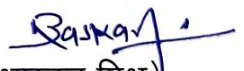
 Principal District & Sessions Judge
 Uttar Bastar Kankeer (C.G.)


 (भास्कर मिश्र)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 उत्तर बस्तर कांकेर

//परिशिष्ट "ए"//

धारा 164, 164 (क) द.प्र.सं. एवं धारा 183, 184 भा.ना.सु.सं. के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियां अंकित करना		
क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01.	श्रीमती अम्बा शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)	कांकेर
02.	श्रीमती अंकिता तिग्गा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानुप्रतापपुर, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)	पखांजूर, बड़गांव बांदे, परतापुर, छोटेबेठिया गोंडाहूर
03.	श्री ध्रुवराज ग्वाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पखांजूर, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)	भानुप्रतापपुर, सिकसोड़, अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, रावघाट, ताड़ोकी, दुर्गकोंदल, लोहत्तर, कोड़ेकुर्से, थाने के समस्त प्रकरणों में एवं पखांजूर, बड़गांव बांदे, परतापुर, छोटेबेठिया, गोंडाहूर थानों के किशोर न्यायालय से संबंधित प्रकरणों में।
04.	श्री निखिल साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)	चारामा, चौकी दुधावा
05.	सुश्री आयुषी शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)	नरहरपुर, चौकी हल्बा
06.	श्री हिमांशु चंद्राकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)	सरोना
07.	श्री मयंक ध्रुव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)	आमाबेड़ा

अनुमोदित

 Principal District & Sessions Judge
 Uttar Bastar Kankeer (C.G.)


 (भास्कर मिश्र)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 उत्तर बस्तर कांकेर

//परिशिष्ट "बी" //

[illegible]

अनुमोदित
Sangeeta Tamale
Principal, Mother's & Children's Hospital
Ulter Bacter Kanker (C.G.)

(भास्कर मिश्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकर

न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

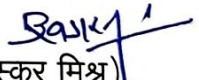
पृष्ठांकन क्रमांक-क्यू/सी.जे.एम./2026,

कांकेर, दिनांक 06.08.2026

प्रतिलिपि:-

- 01 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
- 02 माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पखांजूर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
- 03 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानुप्रतापपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
- 04 माननीय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
- 05 श्रीमती अम्बा शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर/श्रीमती अंकिता तिगा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानुप्रतापपुर/श्री ध्रुवराज ग्वाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पखांजूर/श्री निखिल साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर/सुश्री आयुषी शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर/श्री हिमांशु चंद्राकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर/श्री मयंक ध्रुव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।
- 06 कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 07 पुलिस अधीक्षक, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों, उ.ब. कांकेर को तत्संबंध में आवश्यक रूप से सूचित करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 08 जिला वन मंडलाधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जिले के समस्त रेंज अधिकारियों को सूचित करें ।
- 09 जिला खाद्य अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 10 जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करे ।
- 11 जिला परिवहन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 12 अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उ.ब. कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 13 जिला अभियोजन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 14 कम्प्यूटर अनुभाग, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर जिला न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।




(भास्कर मिश्र)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकेर